न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 48 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 07.04.2016

1–कालूसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
2–धनराजसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
3–गोपाल कंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
4–भगवतसिंह पुत्र देवराजसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
5–अजीतसिंह पुत्र देवराजसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
6–प्रतापसिंह पुत्र देवराजसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
7–लोकेन्द्रसिंह पुत्र देवराजसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
8–मोहन कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
9–किशन कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–भगवानसिंह पुत्र दशरथसिंह जाति जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
2–भरतसिंह पुत्र दशरथसिंह जाति जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
3–मंजू कंवर पुत्री दशरथसिंह जाति जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
4–उच्छकवंर पत्नि दशरथसिंह जाति जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
5–गोबिन्द कवंर पुत्री दशरथसिंह जाति जाति राजपूत निवासी बिणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक
6–तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 750 दिनांक 08.02.2016 वाके ग्राम बिणजारी तहसीलदार उनियारा

जिला कलेक्टर
टोंक

उपस्थिति –(1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री गजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता. 5

निर्णय **दिनांक 01.08.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 08.02.2016 को मृतक खातेदार दशरथसिंह पुत्र भवरंसिंह जाति राजपूत सा. देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 750 दिनांक 08.02.2016 वाके ग्राम बिणजारी भगवानसिंह,भारतसिंह पुत्रान गोबिन्दकंवर,मंजूकंवर पुत्रीया उच्छबकंवर पत्नि दशरथसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट्स एंव अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 ता. 5 की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिंनाक 8–2–2016 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 750 वाके ग्राम बिणजारी पटवार हल्का बिलासपुर तहसील उनियारा को दशरथसिंह के फोत होने पर विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट्स के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज भंवरसिंह के चार पुत्र उम्मेदसिह, दशरथ सिंह, लक्ष्मण सिंह, कालूसिंह है,जिनमें से उम्मेदसिंह, दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह फोत हो चुके है। दशरथसिंह के वारिसान रेस्पोडेण्ट्स है।जबकि उम्मेदसिंह व लक्ष्मणसिंह के वारिसान अपीलान्ट संख्या संख्या 2 ता. 9 है। नामान्तरकरण संख्या 750 खाता संख्या 73 वाके ग्राम बिणजारी में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 624 रकबा 0.88 है. व खसरा नम्बर 804 रकबा 1.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है. भूमि को अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स अपने पूर्वज भंवरसिंह के समय से ही संयुक्त रूप से अपीलान्ट्स 3/4 व रेस्पोडेण्ट्स 1/4 हिस्से की भूमि को काश्त करते चले आ रहे है,उक्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उनवान कालूसिंह बनाम भगवानसिंह नाम से टि. ए/निगरानी/2016/1039/टोक/20.04.2016 प्रकरण लम्बित है,जिसमें पक्षकारान को आगामी आदेश तक न्यायहित मे विवादित मौके की व रिकार्ड की आज की यथास्थिति बनाये रखेगे का उल्लेख करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनाक 20.04.2016 नियत की गई थी। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य में उक्त भूमि बाबत वाद जेरकार होने से तहसीलदार उनियारा को चाहिए था कि पक्षकारान की विधिवत रूप से सुनवाई कर तथा कब्जे की विधिवत रूप से जांच कर नामान्तरकरण का निर्णय करे। वादग्रस्त भूमि के 3/4 हिस्से पर अपीलान्ट्स अपने पूर्वज भंवरसिंह के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर उनका कब्जा है। इस कारण अपीलान्ट्स पीडित पक्षकार है। ग्राम

जिला कलेक्टर
टोंक

पंचायत द्वारा दिनाक 08.02.2016 को पंचायत बैठक में प्रस्ताव लिया गया है कि इस नामान्तरकरण को आगे फैसल किया जावेगा,परन्तु तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम पंचायत के स्थान पर स्वंय ही निर्णय कर दिया है। तहसीलदार उनियारा का आदेश दिनांक 08.02.2016 को निरस्त कर उक्त वर्णित भूमि मे से 3/4 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के हक में तथा 1/4 हिस्से का रेस्पोडेण्ट्स के हक में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पो.संख्यरा 1 ता. 5 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 09.02.2016 को मृतक खातेदार दशरथसिंह पुत्र भवरंसिंह जाति राजपूत सा. देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 750 दिनांक 09.02.2016 वाके ग्राम बिणजारी भगवानसिंह,भारतसिंह पुत्रान गोबिन्दकंवर,मंजूकंवर पुत्रीया उच्छबकंवर पत्नि दशरथसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण तस्दीक दिनांक 09.02.2016 को हुआ है,उक्त दिनांक को किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही था। तहसीलदार उनियारा द्वारा विरासत का नामान्तकरण बाद जांच नियमानुसार तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 09.02.2016 को मृतक खातेदार दशरथसिंह पुत्र भवरंसिंह जाति राजपूत सा. देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 750 दिनांक 09.02.2016 वाके ग्राम बिणजारी भगवानसिंह,भारतसिंह पुत्रान गोबिन्दकंवर,मंजूकंवर पुत्रीया उच्छबकंवर पत्नि दशरथसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिंनाक 08.02.2016 से नामान्तरकरण संख्या 750 वाके ग्राम बिणजारी स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 624 रकबा 0.88 है. व खसरा नम्बर 804 रकबा 1.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है. भूमि को अपीलान्ट्स 3/4 व रेस्पोडेण्ट्स 1/4 हिस्से पर अपने पूर्वज भंवरसिंह के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है,उक्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उनवान कालूसिंह बनाम भगवानसिंह नाम से टि.ए/निगरानी/2016/1039/टोक/20.04.2016 प्रकरण लम्बित है,जिसमें पक्षकारान को आगामी आदेश तक न्यायहित मे विवादित मौके की व रिकार्ड की आज की यथास्थिति बनाये रखेगे का उल्लेख करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनाक 20.04.2016 नियत की गई थी,परन्तु मूल नामान्तकरण संख्या 750 वाके ग्राम बिणजारी का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त नामान्तकरण पर दिनांक 08.02.2016 को आदेश पारित ना कर दिनांक 09.02.2016 को आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5 के पिता/पति कि मृत्यु होने के उपरान्त पटवारी हल्का बिलासपुर द्वारा दिनांक 05.11.2015 को उनके (दशरथसिंह) वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर पेश किये जाने पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एंव जानकारी अंकन सही है का उल्लेख अपनी

जिला कलेक्टर

रिपोर्ट दिनांक 05.11.2015 मे किया है। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक की आदेशिका दिनांक 08.02.2016 मे दिनांक 16.11.2015 को जारी किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज किया जाता है का उल्लेख है। अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय कि आदेशिका दिनांक 22.02.2016 मे पक्षकारान को आगामी आदेश तक न्यायहित मे विवादित मौके की व रिकार्ड की आज की यथास्थिति बनाये रखेगे का उल्लेख किया है। नामान्तकरण दिनांक 09.02.2016 को तहसीलदार उनियारा द्वारा तस्दीक किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 09.02.2016 को न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक से भी और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर से भी किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नही था। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये है जिससे यह साबित हो कि वर्तमान मे उक्त भूमि बाबत उद्घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा किस न्यायालय मे जेरकार है और उक्त भूमि अपने पूर्वज भंवरसिंह से विरासत मे मिली हो। अपीलान्ट्स ने अपील मीमो के बिन्दू संख्या 5 मे अंकित किया है कि अपने पूर्वज भंवरसिंह के समय से ही उक्त भूमि के 3/4 हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। काश्त/कब्जा करने मात्र से नामान्तकरण की प्रक्रिया प्रभावित नही होती है। विरासत का नामान्तकरण वारीसान कि जांच उपरान्त ही तस्दीक किया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 750 दिनांक 09.02.2016 वाके ग्राम बिणजारी तहसील उनियारा यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौरभ झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)